संख्या : पीसीएच-एचबी (1) 09/2002-त0 स0 शिमला-IV- 86963-87048
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग।

****

सेवा में,

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी(पं0 स0)-एवं-
खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

शिमला-9, दिनांक 17/12/2021

विषय:- Clarification regarding emoluments to Technical Assistant.

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या: पीसीएच-एचबी (1)09/2002-त0 स0 शिमला-IV-61615, दिनांक 30/09/2020 जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी-एवं-खण्ड विकास अधिकारी जुब्बल कोटखाई को संबोधित है तथा प्रतिलिपि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति)-एवं-खण्ड विकास अधिकारी हिमाचल प्रदेश को पृष्ठांकित है, पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत समिति)-एवं-खण्ड विकास अधिकारियों मे प्राप्त पत्रों के अन्तर्गत वांछित मार्गदर्शन के दृष्टिगत मामले का पुनः परीक्षण करने उपरान्त पाया गया कि प्रदेश की पंचायत समितियों में दिनांक 18/02/2020 से पूर्व तकनीकी सहायक की श्रेणी के रिक्त पदों को भरने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एचबी (1) 10/2017-तक0 सहा0 नियुक्ति-6168-248, दिनांक 18/02/2020 के अन्तर्गत उक्त श्रेणी की तत्कालीन प्रचलित नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नीति, 2008 जो दिनांक 07/04/2008 को अधिसूचित की गई तथा उसमे इस कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 07/06/2008, 23/08/2008 व 13/02/2020 के अन्तर्गत किए गए संशोधन मे अंकित प्रावधानों के तहत इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एचबी (1) 20/2002-तक0 सहा0 ऊना-I-40939, दिनांक 07 जुलाई 2020 के अन्तर्गत दिनांक 31/07/2020 तक भरने की अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त के दृष्टिगत प्रदेश की पंचायत समितियों मे दिनांक 18/02/2020 से पूर्व रिक्त तकनीकी सहायक की श्रेणी के पदों को तत्कालीन नियुक्ति एवं सेवा शर्तें नीति, 2008 में अंकित प्रावधानों के तहत नियमानुसार वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कर भरने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके दृष्टिगत उक्त नीति मे अंकित प्रावधानों के तहत चयनित तकनीकी सहायकों को इस नीति मे अंकित प्रावधान अनुसार ही मासिक पारिश्रमिक की अदायगी नियमानुसार की जानी आपेक्षित है। जिसके दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या पीसीएच-एचबी (1)09/2002-त0 स0 शिमला-IV-61615, दिनांक 30/09/2020 के अन्तर्गत प्रदान किए गए परामर्श संबन्धी पत्र को उसे जारी करने की तिथि से वापिस (Withdraw) किया जाता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबन्धित मामलों मे इस कार्यालय की अधिसूचना दिनांक 07/04/2008 में अंकित प्रावधानों व उक्त नीति के अन्तर्गत चयनित कर्मचारियों के मामले में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही वर्ष 2020 में नव-चयनित तकनीकी सहायकों को उन्हें देय मासिक पारिश्रमिक की अदायगी करने संबन्धी मामले में आगामी कार्रवाई अमल मे लाने की कृपा करें।

भवदीय

17.12.2021

(ऋग्वेद ठाकुर) भा0 प्र0 से0,
निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID panchayatiraj-hp@ gov.in)

पृ0सं0:- उपरोक्त- 87049-87073 शिमला-171009 दिनांक 17/12/2021
प्रतिलिपि प्रेषित:-

- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिला परिषद)-एवं-अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु।
- समस्त सचिव (जिला परिषद)एवं-जिला पंचायत अधिकारी हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ।

17.12.2021

निदेशक, पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

दूरभाष संख्या: 2623805 (e-mail ID panchayatiraj-hp@ gov.in)